(2020) 11एस.सी.आर. 31

बेलीराम

विरूद्ध

राजेंद्र कुमार और एक अन्य

सिविल अपील सं. 7220-7221/2011

23सितंबर, 2020

(न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी)

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923- प्रथम प्रत्यर्थी लाइसेंस का नवीनीकरण कराये बिना 03वर्षों से अपीलार्थी के चालक के रूप में वाहन चला रहा था- प्रथम प्रत्यर्थी-चालक ट्रक चलाते समय दुर्घटना का शिकार हो गया और उसे 20 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता का सामना करना पडा- उसने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923के तहत क्षतिपूर्ति का दावा किया- ड्राइविंग लाइसेंस की गैर वैधता के पहलू पर उच्च न्यायालय ने विचार किया और आक्षेपित निर्णय पारित करते हुए बीमा कंपनी को किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया और उल्लंघन के कारण अपीलकर्ता-मालिक पर इसे अधिरोपित किया- अपील में, अवधारितः यह न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध आंकाक्षा एवं अन्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध मनोज कुमार एवं अन्य तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध हेमराज एवं अन्य में लिये गये विचारों से पूरी तरह सहमत है- हेमराज के निर्णय में सही विधिक सिद्धांत की व्याख्या होने के साथ-साथ यह देखा गया कि स्वामी को यह दर्शित करना चाहिए कि उसने लाईसेंस का सत्यापन कर लिया है- उसे यह भी देखने के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके कर्मचारी ने समय के भीतर अपने लाईसेंस का नवीनीकरण करवा लिया है- मालिक के लिए यह दलील देना कोई बचाव नहीं है कि वह भूल गया था कि उसके कर्मचारी ड्राईवर के लाईसेंस का नवीनीकरण किया जाना था- इस मामले में, अपीलार्थी-स्वामी ने प्रथम प्रत्यर्थी-चालक को ट्रक चलाने की अनुमति लाईसेंस के समाप्त होने के लगभग 03वर्षों तक दी- यह मामला कर्मचारी द्वारा अपना लाईसेंस नवीनीकरण कराये जाने को देखने में युक्तियुक्त सावधानी की कमी का है और यह भी कि यदि मूल लाईसेंस सत्यापित होता तो निश्चित रूप से नियोक्ता को पता होता कि कब लाईसेंस समाप्त होने वाला है- इस प्रकार, अपीलार्थी को चालक को समाप्त लाइसेंस के साथ तीन वर्षों से अधिक समय तक गाडी चलाने की अनुमति देने की जिम्मेदारी और पारिणामिक दायित्व को वहन करना होगा- प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस को नवीनीकरण नहीं कराये जाने की प्रारंभिक सावधानी की कमी विद्यमान होने के साथ नियोक्ता के रूप में अपीलार्थी की सतर्कता की कमी भी मानी जायेगी।

अपीलों को निरस्त करते हुए, न्यायालय द्वारा

अवधारित-

1. इस न्यायालय का मत है कि एक बार ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने की आवश्यक सावधानी नियोक्ता द्वारा की जाए, हालांकि विस्तृत जांच आवश्यक नहीं है, तो वाहन के मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पता चल जाती, जैसा कि यह लाइसेंस में ही उल्लेखित होता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके बाद वह यह जांच न करने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है कि चालक ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है या नहीं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां लाइसेंस को थोडे समय के लिये, जैसे एक महीने के लिए, नवीनीकृत नहीं किया गया है, जैसा कि स्वर्ण सिंह के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी पर भार डालकर तृतीय पक्ष को लाभ दिया गया था। मौजूदा मामले में लाइसेंस का तीन साल

की अवधि तक नवीनीकरण नहीं किया गया है और वह भी ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहन के संबंध में। अपीलकर्ता ने इसे सत्यापित करने में घोर लापरवाही बरती है। **(पैरा-15)(41-सी-ई)**

2. दिल्ली उच्च न्यायालय ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड बनाम आकांक्षा एवं अन्यमें पाया कि ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने से यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कोई वैध ड्राइविंग लायसेंस दुर्घटना की तिथि पर नहीं था। अतः बीमा कंपनी द्वारा प्रारंभिक जिम्मेदारी उन्मोचित की, क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर लाइसेंस वैध नहीं था। इसके बाद मालिक/बीमाधारक पर यह साबित करने का भार आता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। चूंकि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी थी इसलिए यह उपधारणा की गयी कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का जानबूझकर और सचेतन उल्लंघन किया गया था। **(पैर-18) (41.** जी-एच, **42.** ए-बी**)**

3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनोज कुमार और अन्य में एक बार फिर समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के मामले को देखा गया। यह अवधारित किया गया कि नकली लाइसेंस मामले में निर्धारित सिद्धांत को समाप्त हो चुके लाइसेंस के मामले में अवलंब लेने के प्रयास निर्थक है क्योंकि मालिक को पता होने की उपधारणा रहती है कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया था और इस प्रकार यह माना गया कि यह सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य था कि ड्राइवर को समय के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण मिल जाए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में, वाहन को पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था क्योंकि वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाना आवश्यक है जिसके पास विधिवत लाइसेंस है और इस प्रकार यहां मोटरयान अधिनियम की धारा **149 (2)(ए)(ii)** का उल्लंघन था व इसका परिणाम यह हुआ कि बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका। **(पैरा-19) (42-बी-डी)**

4. अंतिम निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हेमराज और अन्य का है। यह एक बार फिर मूल रूप से वैध लाइसेंस का मामला था जो समाप्त हो गया था व नकली लाइसेंस का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह राय दी गई कि इस न्यायालय के स्वर्ण सिंह मामले में फैसले की टिप्पणियों से जो निष्कर्ष निकाला गया, वह यह था कि बीमा कंपनी इस आधार पर किसी कार्रवाई का बचाव कर सकती है कि दुर्घटना की तारीख पर ड्राईवर के पास विधिवत लाइसेंस नहीं था। यानी एमवी अधिनियम की धारा **14**और **15**में दिए गए प्रावधान के अनुसार समाप्त हो चुके लाइसेंस को लाइसेंस की समाप्ति के तीस **(30)** दिनों के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में यह देखा गया कि स्वर्ण सिंह मामले में तीस **(30)** दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस नवीनीकृत नहीं होने पर होने वाले प्रभावों को नहीं बताया गया। यदि ड्राइविंग लाइसेंस तीस **(30)** दिनों के भीतर नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो यह माना जाता है कि ड्राइवर के पास न तो प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही उसके पास विधिवत लाइसेंस होने की बात कहीं जा सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष यह था कि ड्रारइवर जो अपने लाइसेंस को समाप्त होने देता है और दुर्घटना के बाद तक इसे नवीनीकृत नहीं करता है, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि यह माना जाना चाहिए लाइसेंस भूतलक्षी प्रभाव से नवीनीकृत किया गया है। **(पैरा-20) (42-ई-जी)**

5. यह न्यायालय तीन अलग अलग उच्च न्यायालयों के उक्त सभी तीन निर्णयों में लिए गए मतों से पूरी तरह सहमत है जिसकी परिणिति हेमराज मामले के निर्णय में सही विधिक सिद्धांत की व्याख्या है। **(पैरा-22) (43जी)**

6. जब यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर देखता है तो लगभग एक समान स्थिति दर्शित होती है जहां अपीलकर्ता ने प्रथम प्रत्यर्थी चालक को लगभग तीन **(3)** वर्षों से समाप्त लाइसेंस के साथ ट्रक चलाने की अनुमति दी है। यह स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए उचित सतर्कता की कमी का मामला है कि कर्मचारी अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करवाये और इसके अलावा यदि मूल लाइसेंस

सत्यापित होता, तो निश्चित रूप से नियोक्ता को पता चल जाता कि लाइसेंस कब समाप्त हो रहा है। और यहां ये एक वाणिज्यिक वाहन ट्रक था। इस प्रकार अपीलकर्ता को तीन **(3)** वर्षों की अवधि से समाप्त हो चुके लाइसेंस के साथ ड्राइवर को गाडी चलाने की अनुमति देने का उत्तरदायित्व एवं इसका परिणामिक दायित्व वहन करना होगा। इस न्यायालय ने जो एकमात्र बात ध्यान दी है वह यह है कि सौभाग्य से किसी तृतीय पक्ष के दावेदार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है बल्कि जिस व्यक्ति ने पीडा पहुंचाई है और जो पीडित है, वह एक ही व्यक्ति है यानी प्रथम प्रत्यर्थी ड्राइवर। हालांकि, यह न्यायालय क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निर्धारण का मामला देख रहा है और ये प्रावधान प्रथम प्रत्यर्थी जैसे कर्मकारों के लाभ के लिए हैं, यद्यपि प्रत्यर्थी गलती पर हो सकता है, पर प्रासंगिक अवस्था पर सहायता प्रदान करने के लिए देय छोटी राशि का निर्धारण करके बडे बाद विन्दू अन्य कार्यवाहियों में बहस के लिये छोड़ा जा सकता है। **(पैरा-23) (43**एच**, 44.** ए.सी**)**

नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य. **(2004) 3** एससीसी **997: (2004)1** एससीआर **180**; निर्मला कोठारी वि. युनाईटिड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2020) 4** एस**.**सी**.**सी**.49** पर भरोसा किया गया।

टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध आंकाक्षा एवं अन्य **(2015)** एससीसी ऑनलाईन **6758**एवं दा ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध मनोज कुमार एवं अन्य **(2015) 111**ए.एल.आर**. 275** एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध हेमराज एवं अन्य **2012** ए.सी.जे**. 1891**

केस लॉ रिफरेंस

(2004), 1 SCR 180	अवलंब लिया	पैरा **7**
(2020), 4 SCC 120	अवलंब लिया	पैरा **8**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2011की सिविल अपील संख्या 7220-7221।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के एफएओ (डब्ल्यूसीए) संख्या 45, 2005के निर्णय और आदेश दिनांक 03.03.2009और 2009की सी. समीक्षा संख्या 26में दिनांक 08.07.2009से।

डॉ. एस. गोपा कुमारन नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता। निर्मल कुमार अम्बष्ठ, सुश्री अश्मिता बिसारिया, सुश्री प्रीति गुप्ता, अभय कुमार, विनीत कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, विशाल नौटियाल, परमानंद गौड़, एकांश बंसल, अधिवक्ता। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया द्वारा-
न्यायमूर्ति संजय किशन कॉल,

1. वर्तमान अपीलों में विचार के लिए विधि का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में यदि लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो बीमाधारक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

2. प्रकरण के तथ्य बहुत ही संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रथम प्रत्यर्थी दिनांक 20.05.1999को अपीलकर्ता के स्वामित्व वाले ट्रक को चलाते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिसके अधीन वह लाभप्रद रूप से कार्यरत था। इसके परिणामस्वरूप प्रथम प्रत्यर्थी को 20प्रतिशत स्थायी निःशकतता हो गयी। इसके लिए प्रथम प्रत्यर्थी ने 17.02.1999को आयुक्त सदर बिलासपुर के समक्ष कर्मकार क्षतिपूर्ति

अधिनियम 1923 (ऐतश्मिन पश्चात 'क्षतिपूर्ति अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत एक याचिका दायर कर 5,00,000/- रूपये की राशि के मुआवजे की मांग की जिसमें अपीलकर्ता के अलावा और दूसरे प्रत्यर्थी के रूप में बीमा कंपनी जिसने वाहन का बीमा किया था, को पक्षकार बनाया गया। इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप आयुक्त द्वारा दिनांक 08.12.2004को 94,464/- रूपये उसकी चोटों के लिए और चिकित्सा व्यय के लिए 67,313/- रूपये हेतु अवार्ड पारित किया। अवार्ड की गई राशि पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक प्रतिवर्ष 9प्रतिशत की दर से ब्याज भी दिलाया गया। क्षतिपूर्ति की राशि बीमाकर्ता-द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा जबकि ब्याज का भुगतान अपीलकर्ता को करने का निर्देश दिया गया।

3. कार्यवाही के सभी पक्षों ने अवार्ड के विभिन्न विषयों से व्यथित होकर अपीलें दायर कीं। उच्च न्यायालय द्वारा विचार का एक अभिन्न भाग दुर्घटना के समय प्रथम प्रत्यर्थी के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के बारे में उठाया गया विवादक था। ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 06.09.1996को समाप्त हो गया था और उसके बाद नवीनीकरण के लिए कोई प्रष्ठांकन नहीं था। इस प्रकार प्रथम प्रत्यर्थी लगभग तीन वर्षों से बिना लाइसेंस नवीनीकरण के अपीलकर्ता के चालक के रूप में वाहन चला रहा था।

4. ड्राइविंग लाइसेंस की गैर वैधता के उपरोक्त विषय पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.03.2009को आक्षेपित निर्णय पारित करते समय विचार किया जिसमें बीमा पॉलिसी का सारवान उल्लंघन होने से बीमा कंपनी को किसी भी दायित्व से मुक्त कर अपीलकर्ता पर इसे अधिरोपित किया गया।

5. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निष्कर्ष के बाद क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 4में विशेष रूप से निम्नलिखित विषय पर ध्यान दियाः

"4. प्रतिकर की रकम-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रतिकर की रकम इस प्रकार होगी अर्थात्-

(ए) जहां कि क्षति के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है	मृत कर्मचारी की मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक के गुणा करके प्राप्त रकम के पचास प्रतिशत के बराबर राशि, या अस्सी हजार की राशि, अधिक हो,
(बी) जहां क्षति के कारण स्थायी पूर्ण निःशक्तता हो जाती है	घायल कर्मचारी के मासिक मजदूरी को सुसंगत गुणक के गुणा करके प्राप्त रकम के साठ प्रतिशत के बराबर राशि, या नब्बे हजार की राशि, जो भी अधिक हो,

स्पष्टीकरण ।: खंड (ए) और खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी के संबंध में 'सुसंगत गुणक' से अनुसूची 4के पहले स्तंभ में की प्रविष्टि के सामने उस अनुसूची के दूसरे स्तंभ में विनिर्दिष्ट गुणक अभिप्रेत है, जो वर्षों की उस संख्या को विनिर्दिष्ट करता है जो कर्मचारी के प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती अंतिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या के बराबर है।

6. उपरोक्त प्रावधान पर विचार करने पर उच्च न्यायालय ने राय दी कि उपचार के लिए आवेदक द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय के भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 1999में हुई दुर्घटना के समय मासिक वेतन 4,500/- रूपये बताया गया, यह पाया गया कि क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निर्धारित करने के लिए मजदूरी की अधिकतम राशि 2000/- अनुज्ञेय है। दुर्घटना के तीन (30) दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना होता है और मालिक उक्त राशि बीमाकर्ता से वसूल कर सकता है यदि अंततः यह स्थापित हो जाए कि बीमाकर्ता बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था। अपीलकर्ता को एक परोपरकारी विधि यानी क्षतिपूर्ति अधिनियम के वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए पाया गया और इस प्रकार अपीलकर्ता पर ब्याज का भुगतान करने के साथ-साथ 50प्रतिशत का अधिकतम् जुर्माना भी लगाया गया। क्षतिपूर्ति की राशि इस प्रकार निर्धारित की गईः-

''1.	क्षतिपूर्ति की राशि	= 83,968/- रूपये
2.	क्षतिपूर्ति की राशि पर 50प्रतिशत की दर से जुर्माना	= 41,984/- रूपये
3.	ब्याज प्रभावी दिनांक 20.06.1999से 03.03.2009तक (9वर्ष एवं 257दिन) क्षतिपूर्ति की राशि पर	= 73,335/- रूपये''

7. परिणामतः बीमाकर्ता और दावेदार की अपीलें स्वीकार की गईं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य [1]में इस न्यायालय की आदेश के आधार पर निर्णय की समीक्षा करने का प्रयास विफल रहा और आवेदन दिनांक 08.07.2009को निरस्त कर दिया गया।

8. एकमात्र प्रश्न जिस पर हमारे सामने बहस हुई है, वह निर्णय की शुरूआत में निर्धारित किया गया है। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के हालिया फैसले निर्मला कोठारी बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2]का अवलंब लिया है। उक्त निर्णय में विधि का प्रश्न यह था कि ड्राइवर नियुक्त करते समय नियोक्ता/बीमा धारक से किस सीमा तक सावधानी/सतकर्ता अपेक्षित रहती है, जब चालक को नियुक्त किया जाता है। प्रश्नगत वाहन के चालक के पास नकली या अमान्य ड्राइवर लाइसेंस था तो बीमा कंपनी के दायित्व के संबंध में विधिक स्थिति के प्रश्न का उत्तर देते समय पहले के न्यायिक निर्णयों का संदर्भ देते हुए पैरा 12में निम्नानुसार लेख किया गया है-

"12. ड्राइवर को काम पर रखते समय नियोक्ता से यह सत्यापित करने की अपेक्षा की जाती है कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। यदि ड्राइवर लाइसेंस प्रस्तुत करता है और देखने में असली लगता है तो नियोक्ता से ड्राइवर लाइसेंस को आगे जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, जब तक कि अन्यथा विश्वास करने का कारण न हो। यदि नियोक्ता ड्राइवर को वाहन चलाने में सक्षम पाता है और खुद संतुष्ट है कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149(2)(ए)(II) (एतस्मिन पश्चात् "एमव्ही अधिनियम")का कोई उल्लघंन नहीं होगा। बीमा कंपनी पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगी। ड्राइवर लाइसेंस की सत्यता का पता लगाने के लिए पूरे देश में आरटीओ से पूछताछ करने के लिए बीमाधारक पर इतना बड़ा दायित्व डालना अनुचित होगा। हालांकि बीमा कंपनी सक्षम है और साबित करे कि मालिक/ बीमाधारक को पता था या उसने नोटिस किया था कि लाइसेंस नकली या अमान्य है और फिर भी उसने उस व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दी है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नही रहेगी।''

09. हमने पक्षकारों के विद्वान के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और उनसे पूछा गया कि क्या इस प्रश्न पर कोई विचार किया गया है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने का क्या परिणाम होगा, तो अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्र0 02बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस बिन्दु पर कोई प्रत्यक्ष मत नहीं है। हमने इस संबंध में उच्च न्यायालयों के किसी न्यायिक दृष्टिकोण पर भी पूछा, लेकिन उसका उत्तर भी नकारात्मक था। हमने आदेश सुरक्षित रखा क्योंकि हम इस विषय पर खुद संतुष्ट होना चाहते थे।

10. हम इस न्यायालय के किसी भी निर्णय का इस बिन्दु पर पता नहीं लगा सके, परन्तु इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत उपलब्ध हैं।

11. हम सबसे पहले स्वर्ण सिंह [3] के इस न्यायालय द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से प्रारंभ करना उचित समझते हैं जिसमें एमव्ही एक्ट की धारा 149(2)(ए)(II) में प्रयुक्त विधिवत लाइसेंस के अर्थ की जांच की गयी थी। इसमें तथ्यात्मक पहलू तृतीय पक्ष के दावे की जांच की गयी और विभिन्न घटनाओं पर विचार किया गया जिसमें (a)अनुज्ञप्ति या लाइसेंस नहीं होना। (b) नकली लाइसेंस होना। (c) लाइसेंस धारित,

परन्तु उसकी वैधता समाप्त होना। (d) चलाये जा रहे वाहन के प्रकार के लिए लाइसेंस नहीं होना, एवं (e) सीखने का लाइसेंस होना। हम यहां ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्य उपरोक्त (c) घटनाक्रम से संबंधित हैं। प्रश्नगत विधि के उद्देश्य पर विचार करते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया गया और यह तृतीय पक्ष के दावे का मामला था। बीमा कंपनी द्वारा दायित्व से स्वयं को मुक्त करने के प्रयास में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किये गयेः

"41. हालांकि खण्ड ए इन शब्दों के साथ प्रारंभ होता है कि "पॉलिसी की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लघंन हुआ है" जिसका अर्थ है कि बीमा कंपनी की कार्यवाही का बचाव पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा। उक्त उपखण्ड में पृथक करने वाली विशेषतः तीन शर्तें सम्मलित हैं, अर्थात् बीमाकर्ता दायित्व से बच सकता है, जब (a) एक नामित व्यक्ति वाहन चलाता है, (b) यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास विधिवत लाइसेंस नहीं था, एवं (c) ड्राइवर लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य व्यक्ति है।

42. हम इस तथ्य पर भी ध्यान दे सकते हैं कि जहां धारा 3में प्रयुक्त शब्द "प्रभावी लाइसेंस" है, वहीं धारा 149(2) में "विधिवत लाइसेंस" के रूप में अलग ही लेख किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पास दुर्घटना की तिथि तक प्रभावी लाइसेंस नहीं है तो वह एमव्ही अधिनियम की धारा 141के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु धारा 149तीसरे पक्ष के संबंध में बीमा से संबंधित है।

43. किसी विधि का कोई प्रावधान दण्डात्मक प्रकृति का है और इसके विपरीत किसी तीसरे पक्ष के लिए लाभकारी है, वहां उसकी अलग-अलग व्याख्या की जाना चाहिए। यह भी सर्वविदित है कि विभिन्न अभिव्यक्तियों में निहित प्रावधानों का सामान्यतः अलग- अलग अर्थ लगाया जाता है।

44. इसलिए हमारी राय में धारा 3में प्रयुक्त शब्द "प्रभावी लाइसेंस" को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149की उपधारा 2 के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हमें यह भी न देना चाहिए कि धारा 149की उपधारा 2में प्रयुक्त "विधिवत लाइसेंस" शब्द भूतकाल के रूप में प्रयोग किये गये हैं।

45. इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसका लाइसेंस आमतौर पर मोटर वाहन अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि अंतराल अवधि के दौरान अर्थात् जब दुर्घटना हुयी और लाइसेंस की समाप्ति की तारीख, उसके पास वैध लाइसेंस नहीं था, तो वह निर्धारित अवधि के दौरान उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और बिना किसी अतिरिक्त परीक्षण के या उसके लिए अयोग्य घोषित किये बिना स्वचालित रूप से इसे प्राप्त कर सकता है। धारा 14के साथ संलग्न परन्तुक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि लाइसेंस इसकी समाप्ति के दिन से 30दिन की अवधि के लिए वैध रहता है।

.....

48. इसके अलावा बीमा कंपनी को अपने दायित्व से बचने के लिए न केवल यह दर्शाना आवश्यक है कि धारा 149(2)(ए)(बी) एमव्ही एक्ट के तहत निर्धारित शर्तें संतुष्ट है, बल्कि यह भी स्थापित करना आवश्यक है कि बीमा धारक की ओर से कोई उल्लघंन हुआ है। 1988के अधिनियम में निहित प्रावधानों के कारण उन लोगों को व्यापक उपचार प्रदान किया गया है जिन्होंने वाहन के उपयोगकर्ता के विरूद्ध निर्णय प्राप्त किया है और धारा 147(3) के संदर्भ में बीमा प्रमाण पत्र वितरित होने के बाद किसी तीसरे पक्ष को धारा 145 द्वारा कवर किये जाने वाले आवश्यक दायित्व के संबंध में पॉलिसी द्वारा बीमित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय प्राप्त किया है जिसे बीमाकर्ता द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, भले ही बीमाकर्ता पॉलिसी से बचने या रद्द करने का हकदार हो या

वास्तव में ऐसा कर दिया हो। ऐसा ही दायित्व उस व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय के संबंध में भी लागू होता है जो पॉलिसी से उस दायित्व के संबंध में बीमित नहीं है, परन्तु वह कवर होता, यदि ऐसी बीमा पॉलिसी मृत्यु या शारीरिक क्षति के दायित्व के संबंध के सिवाय, सभी व्यक्तियों के दायित्व को कवर करती।''

12. अब हम निर्णय निर्मला कोठारी [4] के मामले की ओर विचार कर सकते हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त निर्णय को अपने पक्ष में होने की दलील दी गयी है और हम ऊपर दिये गये पैराग्राफ के अलावा प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार उद्दृत कर रहे हैं-

''10. हांलांकि बीमाकर्ता निश्चित रूप से यह बचाव ले सकता है कि दुर्घटना के समय कार के चालक का लाइसेंस अमान्य/नकली था, परन्तु यह साबित करने की जिम्मेदारी कि बीमा धारक ने इसकी वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सर्तकता और सावधानी नहीं बरती और वह बीमा पॉलिसी या बीमा अनुबंध की शर्तों का जान-बूझकर उल्लंघन करने का दोषी है, बीमाकर्ता पर निर्भर है।

11. राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिया गया यह विचार कि पेप्सु ***(PEPSU)*** वाले मामले में स्थापित विधि वर्तमान मामले में इसलिए लागू नहीं होती क्योंकि यह तीसरे पक्ष के दावे से संबंधित है, त्रुटिपूर्ण है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य (एस. सी.सी. पृष्ठ 341ए, पैरा 110) के मामले में इसे स्पष्ट रूप से अवधारित किया गयाः

''110(III) ..... मात्र अभाव, नकली या अमान्य ड्राइवर लाइसेंस अथवा प्रासंगिक समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता अपने आप में बीमाकर्ता या तृतीय पक्ष के विरूद्ध बीमाकर्ता के लिए अपने आप में बचाव नहीं है। बीमा धारक के दायित्व से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमा धारक लापरवाही का दोषी है और वह वाहनों के उपयोग ड्राईविंग लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर या जो वाहन चलाने के लिए योग्य नहीं था, के संबंध में पॉलिसी की शर्तो को पूरा करने के मामले में उचित सावधानी बरतने में विफल रहा।''

13. इस प्रकार यह दलील दी गयी कि बीमित व्यक्ति के रूप में अपीलकर्ता ने नियुक्ति के समय ड्राइवर/प्रथम प्रत्यर्थी के लाइसेंस का सत्यापन करके पर्याप्त सावधानी बरती थी और अपीलकर्ता पर दायित्व तभी डाला जा सकता था यदि उसे इसकी जानकारी थी और उसके पास नोटिस था कि लाइसेंस नकली या अमान्य था और फिर भी उस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दी गयी थी। यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में यह तथ्यात्मक स्थिति नहीं है, क्योंकि लाइसेंस जारी करने पर संदेह नहीं किया गया, बल्कि यह कि इसे बाद में नवीनीकृत किया गया था जिसे प्रथम प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी के रूप में अभिवचनित किया गया था।

14. हमने उसी प्रक्रम पर ही प्रश्न करे हुए यह इंगित किया था कि यह निर्णय कैसे अपीलार्थी के मामले में सहायता करेगा, जबकि यह नकली या अमान्य लाइसेंस का मामला नहीं था। यदि अपीलार्थी को प्रारंभिक स्तर पर ही ड्राईविंग लाइसेंस को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरतता तो तदोपरांत बीमा कंपनी पर यह साबित करने का भार जाता कि ऐसी उचित सावधानी नहीं बरती गयी थी और यदि ऐसा कहा जा सकता है कि प्रथमतः ही ड्राईविंग लाइसेंस का सत्यापन किया था, अपीलकर्ता को इस सत्यापन के उत्तरदायित्व से मुक्त करती है कि ड्राईविंग लाइसेंस नवीनीकृत रखा गया था।

15. इस न्यायालय का मत है कि एक बार ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने की आवश्यक सावधानी नियोक्ता द्वारा की जाए, हालांकि विस्तृत जांच आवश्यक नहीं है, तो वाहन मालिक को ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पता चल जाती, जैसा कि यह लाइसेंस में ही उल्लेखित होता है। यह भी नहीं कहा जा

सकता कि इसके बाद वह यह जांच न करने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है कि चालक ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है या नहीं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां लाइसेंस को थोडे समय के लिये, जैसे एक महीने के लिए, नवीनीकृत नहीं किया गया है, जैसा कि स्वर्ण सिंह [5] के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी पर भार डालकर तृतीय पक्ष को लाभ दिया गया था। मौजूदा मामले में लाइसेंस का तीन साल की अवधि तक नवीनीकरण नहीं किया गया है और वह भी ट्रक जैसे वाणिज्यिक वाहन के संबंध में। अपीलकर्ता ने इसे सत्यापित करने में घोर लापरवाही बरती है।

16. हम इस तथ्य से अवगत है कि इस प्रकरण में लाभार्थी स्वयं चालक है जो लापरवाह था, परन्तु फिर भी हम एमव्ही अधिनियम के तहत दावे पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत विचार कर रहे हैं जो तत्काल सहायता प्रदान करता है और किसी दोष सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जैसा कि सीमित मुआवजे के साथ भुगतान किया जाना निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान प्रकरण में हमें मालिक के रूप में अपीलकर्ता और चालक के रूप में प्रथम प्रत्यर्थी के मध्य भार का हिस्सा तय करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि एमव्ही अधिनियम के तहत कार्यवाही में हो सकता है।

17. अब हम कुछ उच्च न्यायालयों के मत पर विचार करते हैं जो हमारे अपने शोध पर सामने आये हैं!

18. दिल्ली उच्च न्यायालय ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, लिमिटेड बनाम आकांक्षा एवं अन्य [6]में पाया कि ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा समाप्त होने से यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कोई वैध ड्राइविंग लायसेंस दुर्घटना की तिथि पर नहीं था। अतः बीमा कंपनी द्वारा प्रारंभिक जिम्मेदारी उन्मोचित की, क्योंकि दुर्घटना की तिथि पर लाइसेंस वैध नहीं था। इसके बाद मालिक/बीमाधारक पर यह साबित करने का भार आता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। चूंकि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी थी इसलिए यह उपधारणा की गयी कि बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का जानबूझकर और सचेतन उल्लंघन किया गया था।

19. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मनोज कुमार और अन्य [7]में एक बार फिर समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के मामले को देखा गया। यह अवधारित किया गया कि नकली लाइसेंस मामले में निर्धारित सिद्धांत को समाप्त हो चुके लाइसेंस के मामले में अवलंब लेने के प्रयास निर्थक है क्योंकि मालिक को पता होने की उपधारणा रहती है कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया था और इस प्रकार यह माना गया कि यह सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य था कि ड्राइवर को समय के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण मिल जाए। वैध ड्राइविंग लाइसेंस के अभाव में, वाहन को पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था क्योंकि वाहन को ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाना आवश्यक है जिसके पास विधिवत लाइसेंस है और इस प्रकार यहां मोटरयान अधिनियम की धारा 149(2)(ए)(II) का उल्लंघन था व इसका परिणाम यह हुआ कि बीमा कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका।

20. अंतिम निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हेमराज और अन्य [8]का है। यह एक बार फिर मूल रूप से वैध लाइसेंस का मामला था जो समाप्त हो गया था व नकली लाइसेंस का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह राय दी गई कि इस न्यायालय के स्वर्ण सिंह [9]मामले में फैसले की टिप्पणियों से जो निष्कर्ष निकाला गया, वह यह था कि बीमा कंपनी इस आधार पर किसी कार्रवाई का बचाव कर सकती है कि दुर्घटना की तारीख पर ड्राईवर के पास विधिवत लाइसेंस नहीं था। यानी एमवी अधिनियम की धारा 14और 15में दिए गए प्रावधान के अनुसार समाप्त हो चुके लाइसेंस को लाइसेंस की समाप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में यह देखा गया कि स्वर्ण सिंह [10]मामले में तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर लाइसेंस नवीनीकृत नहीं होने पर होने वाले

प्रभावों को नहीं बताया गया। यदि ड्राइविंग लाइसेंस तीस (30) दिनों के भीतर नवीनीकृत नहीं किया जाता है तो यह माना जाता है कि ड्राइवर के पास न तो प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही उसके पास विधिवत लाइसेंस होने की बात कहीं जा सकती है। इस प्रकार निष्कर्ष यह था कि ड्रइवर जो अपने लाइसेंस को समाप्त होने देता है और दुर्घटना के बाद तक इसे नवीनीकृत नहीं करता है, वह यह दावा नहीं कर सकता है कि यह माना जाना चाहिए लाइसेंस भूतलक्षी प्रभाव से नवीनीकृत किया गया है।

21. विद्वान न्यायाधीश ने एमव्ही अधिनियम को विधि का परोपकारी भाग होने के परिणामों के प्रश्न पर विचार किया है। इस प्रकार, यदि दो व्याख्याएं संभव हो, तो यह राय दी गयी कि जो दावेदारों के पक्ष में हो, वहीं अपनायी जाना चाहिए, परन्तु विधि की स्पष्ट और सरल भाषा के उपरांत इसका उल्लघंन नही होना चाहिए। इस प्रकार बीमा कंपनी को राशि जमा करने की कहकर दावेदारों के अधिकारों की संरक्षित करते हुए, बीमित व्यक्ति से उसकी वसूली का आदेश दुर्घटना से पीड़ित के लिए सहानूभूति का सूचक हो सकता। अधिकार जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, वह पीड़ित का है, न कि वाहन मालिक का। इस प्रकार, पैरा 18में निम्नानुसार अवलोकन किया गया है-

"18. जब कोई नियोक्ता किसी ड्राइवर को नियुक्त करता है तो यह जांच करना उसका कर्तव्य है कि ड्राइवर के पास वाहन चलाने के लिए विधिवत लाइसेंस हो। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5में प्रावधान है कि मोटर वाहन का कोई भी मालिक या प्रभारी व्यक्ति वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा, यदि वह व्यक्ति धारा 3और 4मोटरयान अधिनियम की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। मालिक को यह दर्शाना होगा कि उसने लाइसेंस सत्यापित कर लिया है। उसे यह भी सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त सावधानी दिखानी होगी कि उसके कर्मचारी का लाइसेंस समय-सीमा में नवीनीकृत हो गया हो। मेरी राय में मालिक के लिए यह अभिवचनित करना कोई बचाव नहीं है कि वह भूल गया कि उसके कर्मचारी का ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत किया जाना था। एक व्यक्ति जब अपना मोटर वाहन ड्राइवर को सौंपता है तो उस पर सर्व-समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है। यदि वाहन बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाता है तो निर्दोष लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए यह दर्शाने के लिए कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि मालिक ने या तो ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की थी या अपने ड्राइवर को निर्देश दिये थे कि वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के पूर्व नवीनीकृत करवा ले। वर्तमान मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया। उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए मेरा स्पष्ट मानना है कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था और बीमा कंपनी को दावे को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

22. हमने उपरोक्त टिप्पणियों को पुनः उद्दृत किया है क्योंकि हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से सही विधिक स्थिति को सामने रखता है और हम तीन अलग-अलग उच्च न्यायालयों के उन तीनों निर्णयों में लिये गये अभिमत से पूरी तरह सहमत हैं, जबकि परिणिती हेमराज[11]वाले निर्णय में सही विधिक सिद्वांत प्रतिपादित की गयी है।

23- जब यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर देखता है तो लगभग एक समान स्थिति दर्शित होती है जहां अपीलकर्ता ने प्रथम प्रत्यर्थी चालक को लगभग तीन (3) वर्षों से समाप्त लाइसेंस के साथ ट्रक चलाने की अनुमति दी है। यह स्पष्ट रूप से यह देखने के लिए उचित सतर्कता की कमी का मामला है कि कर्मचारी अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करवाये और इसके अलावा यदि मूल लाइसेंस सत्यापित होता, तो निश्चित रूप से नियोक्ता को पता चल जाता कि लाइसेंस कब समाप्त हो रहा है, और यहां ये एक वाणिज्यिक वाहन ट्रक था। इस प्रकार अपीलकर्ता को तीन (3 वर्षों की अवधि से समाप्त हो चुके लाइसेंस के साथ ड्राइवर को गाडी चलाने की अनुमति देने का उत्तरदायित्व एवं इसका परिणामिक दायित्व वहन करना होगा। इस न्यायालय ने जो एकमात्र बात ध्यान दी है, वह यह है कि सौभाग्य से किसी तृतीय पक्ष के दावेदार के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि जिस व्यक्ति ने पीडा पहुंचाई है और जो पीडित है, वह एक ही व्यक्ति अर्थात प्रथम प्रत्यर्थी ड्राइवर ही है। हालांकि, यह

न्यायालय क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निर्धारण का मामला देख रहा है और ये प्रावधान प्रथम प्रत्यर्थी जैसे कर्मकारों के लाभ के लिए हैंचाहे वह गलती पर हो, पर प्रासंगिक अवस्था पर सहायता प्रदान करने के लिए देय छोटी राशि का निर्धारण करके बडे वाद बिन्दू अन्य कार्यवाहियों में बहस के लिये छोड़े जा सकते हैं।

एक मात्र अपवाद धारा 3 क्षतिपूर्ति अधिनियम के परन्तुकों में है परंतु वह भी वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति नहीं है। उसके सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैं-

"3. क्षतिपूर्ति के लिए "नियोक्ता" का दायित्व-

01. यदि किसी कर्मचारी को उसके रोजगार में या रोजगार के दौरान कोई दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट पहुचंती है तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु नियोक्ता उत्तरदायी नहीं होगाः-

(a) किसी भी चोट के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी की चार दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक विकलांगता नहीं होती है।

(b) किसी भी चोट के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु नहीं हुयी और वह दुर्घटना जिसके लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार परिस्थिति-

(I) उस कर्मचारी का उस समय किसी पेय या दवा के नशे में होना, या

(II) कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्पष्ट रूप से दिये गये आदेश या बनाये गये नियम की जान-बूझकर अवज्ञा करना, या

(III) कर्मचारी द्वारा जान-बूझकर किसी सुरक्षा-गार्ड या अन्य उपकरण को हटाना या उसकी उपेक्षा करना जिसके बारे में उसे पता था कि उसे कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया था।"

हम इस बात से अवगत नहीं है कि कोई अन्य कार्यवाहीयां शुरू की गयी है या नहीं, कम से कम ऐसी कोई भी कार्यवाही हमारे संज्ञान में नहीं लायी गयी है। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकृत न कराने की प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा सावधानी की आरंभिक कमी के उपरोक्त निष्कर्ष विद्यमान है, परन्तु नियोक्ता के रूप में अपीलकर्तो की सावधानी की कमी भी उत्पन्न होती है। हमने उपरोक्त मत को लेखबद्ध किया है क्योंकि एमव्ही अधिनियम के तहत कार्यवाही में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की काफी संभावना है, जहां कोई तृतीय पक्ष राशि का दावा कर रहा हो। यहां कार्यवाहीयां क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत होने के कारण, प्रथम प्रत्यर्थी पर आरंभिक लापरवाह व्यक्ति के रुप में परिणाम प्रवाहित नहीं होते हैं।

24. उपरोक्त विवेचनानुसार, विधि के उपरोक्त प्रश्न का विनश्चय करते हुए पक्षकारों को अपना व्यय स्वयं वहन करने के साथ अपीलों को निरस्त किया जाता है।

vihysa fujLr dh x;hA

अब्दुल कदीर मंसूरी,

---

1 (2004) 3एससीसी 297
2 (2020) 4एससीसी 49 (हममें से एक, कृष्ण मुरारी जी द्वारा लिखित)
3 (सुपरा)
4 (सुपरा)
5 (सुपरा)
6 2015एससीसी ऑनलाईन 6758: (2015) 2टीएसी 52
7 (2015) 111ए.एल.आर. 275 (लेखक कृष्ण मुरारी जी थे, जैसा वह तब थे)
8 2012ए.सी.जे. 1891 (लेखक दीपक गुप्ता जी थे, जैसा वह तब थे)
9 (सुपरा)
10 (सुपरा)
11 (सुपरा)